

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/से0नि0/एफ.24857/जोन-जयपुर/2024/269

दिनांक : 27/03/2024

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि. तिथि
1.	श्रीमती प्रीती जैन, प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय।	15.05.1964	31.05.2024
2.	रेशमी देवी, वरिष्ठ सहायक	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहरोड (कोटपूतली-बहरोड)	01.08.1964	31.07.2024

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/से0नि0/एफ.24857/जोन-जयपुर/2024/269

दिनांक : 27/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय/कोटपूतली।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहरोड (कोटपूतली-बहरोड)।
4. प्रभारी, डीपीसी (अराजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. सम्बन्धित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6106625

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :15-03-2024 07:39:53